संख्याः 8/2016/जी-2-148/दस-2016-1(विविध)/दस-2014

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 05 अक्टूबर, 2016

विषयः विभिन्न विभागों/ निगमों/ उपक्रमों/ परिषदों/ आयोगों/ संस्थाओं में गैर सरकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सलाहकार एवं सदस्य के मानदेय, भत्तों एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न विभागों/निगमों/उपक्रमों/परिषदों/ आयोगों/संस्थाओं में गैर सरकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सलाहकार एवं सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले महानुभावों के वेतन/मानदेय, भत्तों एवं अन्य सुविधाओं के निर्धारण संबंधी शासनादेश संख्या-4/जी-2-144/दस-2014-1(विविध)/दस-2014, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 में गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार एवं सदस्य को टेलीफोन की सुविधा संबंधी प्राविधान में निम्नानुसार जोडे जाने का निर्णय लिया गया है :-

"परन्तु गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार द्वारा अपने आवासीय फोन की सुविधा का लाभ न लिए जाने पर आवासीय फोन की अधिकतम सीमा रू0 25,000.00 वार्षिक के अधीन रहते हुए उनके निजी मोबाईल फोन पर हुआ व्यय अनुमन्य होगा। इसी प्रकार गैर सरकारी सदस्य द्वारा अपने आवासीय फोन की सुविधा का लाभ न लिए जाने पर आवासीय फोन की अधिकतम सीमा रू0 15,000.00 वार्षिक के अधीन रहते हुए उनके निजी मोबाईल फोन पर हुआ व्यय अनुमन्य होगा।"

2- शासनादेश संख्या-4/जी-2-144/दस-2014-1(विविध)/दस-2014, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 की शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

3- उपरोक्त शासनादेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।

भवदीय,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 8/2016/जी-2-148(1)/दस-2016-1(विविध)/दस-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2 प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3 प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

4 स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

5 निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।